मध्यप्रदेश शासन
ऊर्जा विभाग
मंत्रालय

क्रमांक 4985/2018/तेरह   भोपाल, दिनांक 15/6/18

प्रति,

1. प्रबंध संचालक
   एम.पी. पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड,
   जबलपुर।

2. प्रबंध संचालक
   म.प्र. पूर्व/मध्य/पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड,
   जबलपुर/भोपाल/इंदौर।

विषयः–मुख्यमंत्री जनकल्याण (संबल) योजना, 2018 के तहत पंजीकृत श्रमिकों के मासिक बिलों को सरल करने हेतु "सरल बिजली बिल स्कीम" एवं इन उपभोक्ताओं के साथ ही बीपीएल उपभोक्ताओं हेतु "मुख्यमंत्री बकाया बिजली बिल माफी स्कीम, 2018" के संबंध में।

संदर्भः–विभाग का पत्र कमांक 4963–4964/2018/तेरह, दिनांक 14.6.2018

:–:

उपरोक्त संदर्भित पत्र के तारतम्य में "सरल बिजली बिल स्कीम" एवं "मुख्यमंत्री बकाया बिजली बिल माफी स्कीम, 2018" के कियान्वयन हेतु निम्नलिखित विवरण संलग्न प्रेषित हैः–

परिशिष्ट–1	सरल बिजली बिल स्कीम
परिशिष्ट–2	सरल बिजली बिल स्कीम का आवेदन सह घोषणा पत्र
परिशिष्ट–3	मुख्यमंत्री बकाया बिजली बिल माफी स्कीम, 2018
परिशिष्ट–4	मुख्यमंत्री बकाया बिजली बिल माफी स्कीम, 2018 का आवेदन सह घोषणा पत्र

निर्देशानुसार, उपरोक्त दोनों स्कीमों के त्वरित कियान्वयन हेतु कृपया अनुरोध है।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार।

(पी.के. चतुर्वेदी)
विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी
म.प्र. शासन, ऊर्जा विभाग

पृष्ठा.क्रमांक 4986/2018/तेरह   भोपाल, दिनांक 15/6/18

प्रतिलिपि –

1. अपर मुख्य सचिव, म.प्र. शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
2. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, श्रम विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
3. आयुक्त, जनसंपर्क विभाग, भोपाल।

विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी
म.प्र. शासन, ऊर्जा विभाग

परिशिष्ट - 1

मुख्यमंत्री जन कल्याण (संबल) योजना-2018 के तहत पंजीकृत श्रमिकों के परिवार के घरेलू संयोजन के लिये 200 रूपये मासिक देयक भुगतान की ''सरल बिजली बिल स्कीम''

(1) स्कीम का उद्देश्य-

माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा के दृष्टिगत मुख्यमंत्री जन कल्याण (संबल) योजना-2018 के तहत पंजीकृत श्रमिकों के परिवारों के घरेलू संयोजनों को मात्र 200 रूपये प्रतिमाह की दर से विद्‌युत प्रदान करने के लिए यह स्कीम लागू की जा रही है।

(2) स्कीम दिनांक 01 जुलाई, 2018 (बिल अगस्त, 2018) से प्रारंभ की जाएगी।

(3) स्कीम अंतर्गत घर में बल्ब, पंखा एवं टी.वी. चलाने के लिए प्रारंभिक रूप से बिलिंग खपत अधिकतम 100 यूनिट तक रखी जायेगी।

(4) स्कीम में शामिल होने के लिये मुख्यमंत्री जन कल्याण (संबल) योजना-2018 के तहत पंजीकृत श्रमिकों द्वारा आवेदन पत्र भरकर विद्‌युत वितरण कंपनी के निकटतम कार्यालय/कैम्प मे जमा किया जाना होगा।

(5) स्कीम की अन्य शर्ते -

(i) स्कीम अंतर्गत स्वघोषणा आवेदन पत्र के आधार पर सरल बिजली बिल स्कीम का लाभ दिया जाएगा। यह लाभ श्रम विभाग में पंजीयन की वैधता जारी रहने तक उपलब्ध होगा।

(ii) यदि कोई पात्र हितग्राही, विद्‌युत उपभोक्ता (अर्थात् जिस व्यक्ति के नाम विद्‌युत संयोजन है) के परिवार का सदस्य है एवं उपभोक्ता के साथ ही निवासरत है, तो ऐसे विद्‌युत संयोजन पर भी सरल बिजली बिल स्कीम का लाभ दिया जाएगा। इसके लिए उपभोक्ता का नाम परिवर्तन आवश्यक नहीं होगा, तथापि ऐसे प्रकरण में परिवार का सदस्य उन्ही व्यक्तियों को माना जाएगा, जिनके नाम समग्र डेटाबेस में एक परिवार के रूप में अंकित हों।

(iii) यदि किसी पात्र हितग्राही के निवास स्थान का विद्‌युत संयोजन उसके नाम पर न होकर किसी अन्य के नाम पर है तथा पात्र हितग्राही ऐसा संयोजन अपने नाम कराना चाहता है, तो विद्‌युत वितरण कंपनी वांछित प्रक्रिया की पूर्ण जानकारी देते हुए औपचारिकतायें पूर्ण करने हेतु सभी सहायता और मार्गदर्शन प्रदान करेगी।

(iv) एयर कन्डिशनर, हीटर का उपयोग करने वाले उपभोक्ता तथा 1000 वाट से अधिक संयोजित भार वाले उपभोक्ता, उपरोक्त स्कीम के लिए अपात्र होंगे।

(v) जहाँ मीटर स्थापित हों, वहाँ मीटर से रीडिंग करते हुए बिल की गणना की जाएगी एवं विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 55 के प्रावधान के दृष्टिगत नये संयोजनों हेतु चरणबद्ध तरीके से मीटर की उपलब्धता के आधार पर मीटर स्थापित किये जायेंगे।

(vi) ग्रामीण क्षेत्रों में 500 वॉट तक के संयोजित भार वाले अनमीटर्ड उपभोक्ताओं की विद्युत नियामक आयोग द्वारा वर्ष 2018-19 के टैरिफ आर्डर में निर्धारित श्रेणी एल.वी. 1.2 की उपश्रेणी (ii) के अनमीटर्ड संयोजन के लिए लागू दर से बिलिंग की जाएगी। 500 वॉट से अधिक संयोजित भार वाले उपभोक्ताओं की विद्युत नियामक आयोग के प्रचलित विनियम के अनुसार बिलिंग की जाएगी।

(vii) शहरी क्षेत्रों में स्थापित मीटरों की रीडिंग जारी रहेगी एवं विद्युत नियामक आयोग के विद्यमान टैरिफ अनुसार मीटर में अंकित खपत के आधार पर उपभोक्ता बिल की गणना की जाएगी।

(viii) मीटर खराब होने/उपलब्ध न होने पर विद्युत नियामक आयोग के प्रचलित विनियम अनुसार बिल की गणना की जाएगी। **वितरण कंपनियों द्वारा आयोग द्वारा निर्धारित मानदण्ड के अतिरिक्त और कोई भी आंकलित यूनिट बिल में नहीं जोड़े जायेंगे।**

(ix) उपरोक्त कंडिकाओं के अंतर्गत दिए गए बिल के विरूद्ध उपभोक्ता से प्रतिमाह मात्र 200 रूपये अथवा विगत एक वर्ष का मासिक औसत बिल, जो भी कम हो, का भुगतान प्राप्त किया जाएगा, जबकि विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 65 के अनुसार शेष राशि राज्य शासन द्वारा सब्सिडी के रूप में वहन की जाएगी।

(x) सरल बिजली बिल स्कीम में उपभोक्ता के बिल में उपभोक्ता द्वारा देय राशि तथा राज्य शासन द्वारा प्रदत्त सब्सिडी का स्पष्ट उल्लेख किया जाएगा।

(6) प्रचलित दर से विद्युत शुल्क अधिरोपित किया जाएगा, जिसके सहित उपभोक्ता द्वारा मात्र 200 रूपये प्रतिमाह की राशि देय होगी। विद्यमान उपभोक्ता से कोई अतिरिक्त सुरक्षा निधि नहीं ली जाएगी। नये संयोजनों के लिए सौभाग्य योजना की तरह व्यवस्था रखी जाए, जिसमें सुरक्षा निधि नहीं ली जा रही है।

(7) वितरण कंपनियां ऊर्जा विभाग द्वारा निर्धारित प्रपत्र में सब्सिडी के दावे त्रैमासिक रूप से उपलब्ध करायेंगी, जिनका भुगतान वित्त विभाग द्वारा किया जाएगा। सब्सिडी के दावे प्रस्तुत करते समय पात्रताधारी उपभोक्ताओं से विगत वर्ष समान अवधि में इन उपभोक्ताओं से प्राप्त हुए राजस्व एवं तत्समय ऐसे उपभोक्ताओं के संबंध में संग्रहण दक्षता का ब्यौरा भी दिया जाएगा।

(8) वितरण कंपनियों द्वारा उपभोक्ताओं को सरल बिजली बिल स्कीम का लाभ देने के लिए वितरण केन्द्रवार, हाट / बाजारों आदि में कैम्प लगाये जायेंगे।

(9) श्रमिक पंजीयन प्रमाण-पत्र की छायाप्रति मांगने की आवश्यकता नहीं रहेगी।

(10) बिलिंग व्यवस्था, क्रियान्वयन तथा विनियामक ढाँचे की दृष्टि से अन्य आवश्यक प्रावधान एम.पी. पावर मैनेजमेंट कंपनी द्वारा शामिल किये जा सकेंगे।

(पी.के.चतुर्वेदी)
विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी
म.प्र. शासन, ऊर्जा विभाग

परिशिष्ट - 2

"मुख्यमंत्री जन कल्याण (संबल) योजना-2018"

'सरल बिजली बिल स्कीम'

आवेदन सह घोषणा पत्र

क्रमांक ....

प्रति,

सहायक यंत्री/कनिष्ठ यंत्री,
................वितरण केन्द्र/जोन
म.प्र.पू./म./प.क्षे वि.वि.कं. लिमि ....

महोदय,

मैं म.प्र. शासन के श्रम विभाग द्वारा पंजीकृत असंगठित श्रमिक की श्रेणी में आता हूँ। मुझे निम्नलिखित विद्युत कनेक्शन पर "सरल बिजली बिल स्कीम" का लाभ दिया जाये, जिससे संबंधित विवरण निम्नानुसार है:-

1. आवेदनकर्ता का नाम ....
2. असंगठित श्रमिक पंजीकरण क्रमांक
3. विद्युत कनेक्शन क्रमांक (जिस पर लाभ लेना है) ....
4. विद्युत उपभोक्ता का मोबाईल नं.
5. विद्युत उपभोक्ता का आधार नं.
6. पोस्टल पता ....
7. विद्युत उपभोक्ता का नाम ....पिता /पति...
8. आवेदक का विद्युत उपभोक्ता से संबंध : स्वयं / साथ में निवासरत परिवार का सदस्य
9. आवेदक का उपभोक्ता से रिश्ता : दादा/दादी/माता/पिता/पति/पत्नि/पुत्र/पुत्री/अन्य (रिश्ते का उल्लेख करें)

उपरोक्त विद्युत उपभोक्ता परिसर में हीटर / एयर कंडिशनर नही है एवं कुल संयोजित भार 1000 वाट से अधिक नहीं हैं। मुझे यह ज्ञात है कि हीटर / एयर कंडिशनर वाले उपभोक्ता या सरल बिजली बिल स्कीम के लिये पात्रता नहीं हैं। कृपया मुझे प्रतिमाह 200 रूपये की दर से विद्युत देयक देने का कष्ट करें।

मैं घोषणा करता/ करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गयी उपरोक्त जानकारी पूर्णत: सत्य है ।

टीप:-बिन्दु क्रमांक 7 से 9 की प्रविष्टियां तभी की जाएँगी, जब विद्युत उपभोक्ता पंजीकृत आवेदक का निकट संबंधी होगा एवं साथ में निवासरत होगा। ऐसी दशा में समग्र पोर्टल में दोनों सदस्यों का नाम एक ही परिवार में शामिल होना चाहिए।

स्थान -.......................
दिनांक ....

आवेदक का हस्ताक्षर व नाम

पावती

आवेदक का नाम श्री ....आत्मज श्री ....

असंगठित श्रमिक पंजीकरण क्रमांक .... आवेदक का विद्युत उपभोक्ता से संबंध .... का विद्युत कनेक्शन क्रमांक..ग्राम.. पर सरल बिजली बिल स्कीम के अंतर्गत लाभ देने के लिये आवेदन प्राप्त हुआ जिसका पंजीयन क्रमांक .... दिनांक .... है।

सहायक यंत्री/ कनिष्ठ यंत्री के हस्ताक्षर /मुहर
वितरण केन्द्र /जोन का नाम.................................
संभाग कानाम...

मुख्यमंत्री जन कल्याण (संबल) योजना-2018 के तहत पंजीकृत श्रमिकों तथा बीपीएल उपभोक्ताओं के घरेलू संयोजनों के विद्युत बिलों की पुरानी बकाया राशि के निराकरण हेतु "मुख्यमंत्री बकाया बिजली बिल माफी स्कीम 2018"

1. **स्कीम का उददेश्य**- कुछ कारणवश घरेलू बिजली बिलों का भुगतान समय से नहीं कर पाने के फलस्वरूप मूल बकाया राशि एवं उस पर अधिरोपित सरचार्ज के कारण उपभोक्ताओं के चालू माह के बिलों की राशि अत्यधिक हो जाती है। मुख्यमंत्री जन कल्याण (संबल) योजना-2018 के तहत पंजीकृत श्रमिकों एवं बीपीएल उपभोक्ताओं के घरेलू संयोजनों की पुरानी बकाया राशि का निराकरण कर उन्हें नियमित बिल भुगतान करने के लिये प्रेरित करने के उद्देश्य से "**मुख्यमंत्री बकाया बिजली बिल माफी स्कीम 2018**" लागू की जा रही है।

2. **स्कीम की अवधि**- स्कीम का प्रभाव माह जून 2018 तक की कुल बकाया राशि पर लागू होगा एवं पात्र उपभोक्ताओं के जुलाई, 2018 के बिल जो माह अगस्त में आयेंगे, से परिलक्षित होगा।

3. **स्कीम में शामिल होने के लिए पात्र उपभोक्ता**-

   (i) मुख्यमंत्री जन कल्याण (संबल) योजना 2018 में पंजीकृत श्रमिक एवं बीपीएल उपभोक्ताओं के घरेलू कनेक्शन, जिन पर बिजली बिल की राशि बकाया है, को श्रम विभाग के पंजीयन कार्ड अथवा बीपीएल कार्ड का क्रमांक उपलब्ध कराने पर बकाया बिल की माफी की जाएगी। ऐसे पंजीकृत श्रमिक जिनके निवास का विद्युत संयोजन उसके स्वयं के नाम पर न होकर उसके परिवार के किसी सगे संबंधी के नाम पर हो एवं बी.पी.एल. उपभोक्ता को सरलता से नामांतरण की सुविधा देते हुए ऐसी स्थिति में उपभोक्ता के साथ निवासरत होने की दशा में उसे स्कीम का लाभ दिया जायेगा।

   (ii) यदि मुख्यमंत्री जन कल्याण (संबल) योजना 2018 में पंजीकृत कोई पात्र हितग्राही, विद्युत उपभोक्ता (अर्थात् जिस व्यक्ति के नाम विद्युत संयोजन है) के परिवार का सदस्य है एवं उपभोक्ता के साथ ही निवासरत है, तो ऐसे विद्युत संयोजन पर भी मुख्यमंत्री बकाया बिजली बिल माफी स्कीम 2018 का लाभ दिया जाएगा। इसके लिए उपभोक्ता का नाम परिवर्तन आवश्यक नहीं होगा, तथापि ऐसे प्रकरण में परिवार का सदस्य उन्ही व्यक्तियों को माना जाएगा, जिनके नाम समग्र डेटाबेस में एक परिवार के रूप में अंकित हों।

4. **स्कीम का स्वरूप**-

   (i) उपभोक्ता के माह जून, 2018 तक के बिल में देय मूल बकाया राशि एवं सरचार्ज की संपूर्ण राशि माफ की जावेगी। इस हेतु आवेदन प्राप्ति पश्चात् बकाया माफी प्रमाण-पत्र जारी किया जाएगा।

   (ii) सरचार्ज की संपूर्ण राशि एवं मूल बकाया राशि का 50 प्रतिशत वितरण कंपनी द्वारा माफ किया जायेगा एवं मूल बकाया राशि का शेष 50 प्रतिशत राज्य शासन द्वारा वहन किया

जायेगा। इसकी एवज् में राज्य शासन द्वारा तीन वर्षों अर्थात 2018-19, 2019-20 एवं 2020-21 में सब्सिडी दी जायेगी।

5. इस स्कीम में मुख्यमंत्री जन कल्याण (संबल) योजना 2018 में पंजीकृत श्रमिक व बीपीएल श्रेणी के वे उपभोक्ता भी सम्मिलित हो सकते है:-

(i) जिन पर सामान्य विद्युत बिल की राशि बकाया है व जिन्होने वितरण कंपनी के विरूद्ध बकाया राशि बाबत् न्यायालयीन प्रकरण दर्ज किया है व प्रकरण लंबित है।

(ii) जिन पर विद्युत बिल की राशि बकाया होने से विद्युत कनेक्शन स्थायी अथवा अस्थायी रूप से विच्छेदित किया गया था व जिन पर वितरण कंपनी द्वारा विद्युत अधिनियम की धारा 126, 135 या 138 में प्रकरण दर्ज किया गया हो व उनके बिल की राशि बकाया हो, ऐसे उपभोक्ताओं को निर्धारण अधिकारी द्वारा जारी निर्धारण आदेश की कंपाउडिंग फीस व देय ब्याज इत्यादि सहित पूर्व की बकाया राशि समेत सम्पूर्ण राशि माफ की जाएगी।

(iii) इस स्कीम के अंतर्गत पात्र हितग्राहियों के संबंध में उपरोक्तानुसार निराकरण पश्चात् विशेष विद्युत न्यायालयों में दर्ज इन सभी प्रकरणों को समाप्त करने की कार्यवाही प्रारंभ की जाए।

6. बिन्दु क्र. 3 में दर्शित पात्र समस्त उपभोक्ताओं की सूची वितरण कंपनी के सूचना प्रौद्योगिकी प्रभाग एवं वाणिज्य प्रभाग द्वारा तैयार कर समस्त महाप्रबंधक/अधीक्षण यंत्री (शहर/संचालन एवं संधारण वृत्त) को दी जायेगी, जिसमें जून, 2018 तक की बिल राशि का पूर्ण विवरण जैसे कुल बकाया, मूल राशि, अधिभार आदि का विवरण होगा। इस सूची के आधार पर ही छूट प्रदान की जायेगी। वितरण कंपनियों द्वारा मासिक तौर पर छूट प्राप्त कर रहे हितग्राहियों की संख्या एवं छूट की जानकारी हेतु आंतरिक सूचना प्रणाली तथा श्रम विभाग को जानकारी देने हेतु सूचना प्रणाली विकसित की जायेगी। प्रबंध संचालक इसकी पूर्ण व्यवस्था स्वयं की देख-रेख में करायेंगे।

7. पूर्ववर्ती वर्षों में जारी समाधान योजना में लाभ ले चुके घरेलू उपभोक्ता पात्रता अनुसार इस स्कीम में पुन: लाभ ले सकेंगे।

8. स्कीम के अंतर्गत पात्रताधारी हितग्राही की बिजली बिल की बकाया राशि की माफी संबंधी प्रमाण पत्र संलग्नक-1 के अनुसार जारी किया जायेगा।

(पी.के.चतुर्वेदी)
विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी
म.प्र. शासन, ऊर्जा विभाग

संलग्नक-1

म.प्र. .... क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड,......................

''मुख्यमंत्री बकाया बिजली बिल माफी योजना 2018''

प्रमाण-पत्र

1. प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक श्री/सुश्री .... पिता/पत्नी ...., जिनका श्रमिक पंजीयन क्रमांक / बीपीएल क्रमांक .... है, को उनके विद्युत कनेक्शन क्रमांक .... ग्राम ...., वितरण केन्द्र .... पर, **''मुख्यमंत्री बकाया बिजली बिल माफी योजना 2018''** के अंतर्गत माह जून 2018 के देयक अनुसार कुल बकाया राशि रू. .... शब्दों में रूपये .... माफ की जाती है।

अथवा

2. प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक श्री/सुश्री .... पिता/पत्नी ...., जिनका श्रमिक पंजीयन क्रमांक................................ है, को विद्युत कनेक्शन क्रमांक .... पर, जो उपभोक्ता श्री ...., ग्राम ...., वितरण केन्द्र .... के नाम है एवं आवेदक का उपभोक्ता से .... का संबंध है, **''मुख्यमंत्री बकाया बिजली बिल माफी योजना 2018''** के अंतर्गत माह जून 2018 के देयक अनुसार कुल बकाया राशि रू. .... शब्दों में रूपये .... माफ की जाती है।

स्थान: जारी कर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

दिनांक:

सहायक यंत्री/ कनिष्ठ यंत्री के हस्ताक्षर /मुहर

वितरण केन्द्र /जोन का नाम...................................

संभाग कानाम..

टीप:-आवेदक के स्वयं विद्युत उपभोक्ता होने पर कंडिका (1) अथवा विद्युत उपभोक्ता के आवेदक का सगे संबंधी होने पर कंडिका (2) अनुसार, जो भी लागू हो, प्रमाण पत्र जारी किया जायेगा।

"मुख्यमंत्री जन कल्याण (संबल) योजना-2018 के तहत पंजीकृत श्रमिकों एवं बी.पी.एल. उपभोक्ताओं के लिए "मुख्यमंत्री बकाया बिजली बिल माफी स्कीम, 2018"

आवेदन सह घोषणा पत्र

क्रमांक ....

प्रति,

सहायक यंत्री/कनिष्ठ यंत्री,
................वितरण केन्द्र/जोन
म.प्र.पू./म./प.क्षे वि.वि.कं. लिमि ....

महोदय,

मैं म.प्र. शासन के श्रम विभाग द्वारा संबल योजना में पंजीकृत असंगठित श्रमिक/गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले उपभोक्ताओं की श्रेणी में आता हूँ। मुझे निम्नलिखित विद्युत कनेक्शन पर **मुख्यमंत्री बकाया बिजली बिल माफी स्कीम, 2018** का लाभ दिया जाये, जिससे संबंधित विवरण निम्नानुसार है :-

1. आवेदक का नाम ....
2. असंगठित श्रमिक पंजीकरण क्रमांक [ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]
3. बीपीएल क्रमांक .... (छायाप्रति संलग्न)
4. विद्युत कनेक्शन क्रमांक (जिस पर योजना का लाभ लेना है) ....
5. विद्युत उपभोक्ता का मोबाईल नं. [ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]
6. विद्युत उपभोक्ता काआधार नं. [ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]
7. पोस्टल पता ....
8. विद्युत उपभोक्ता का नाम श्री ....पिता /पति...
9. आवेदक का विद्युत उपभोक्ता से संबंध : स्वयं / साथ में निवासरत परिवार का सदस्य
10. आवेदक का उपभोक्ता से रिश्ता : दादा/दादी/माता/पिता/पति/पत्नि/पुत्र/पुत्री/अन्य (रिश्ते का उल्लेख करें)

मैंने 'मुख्यमंत्री बकाया बिल माफी स्कीम 2018' के प्रावधानों को अच्छी तरह समझ लिया है । मैं इस योजना में सम्मिलित होना चाहता/चाहती हूँ ।

मैं घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गयी उपरोक्त जानकारी पूर्णतः सत्य है ।

टीपः-बिन्दु क्रमांक 8 से 10 की प्रविष्टियां तभी की जाएँगी, जब विद्युत उपभोक्ता पंजीकृत आवेदक का निकट संबंधी होगा एवं साथ में निवासरत होगा। ऐसी दशा में समग्र पोर्टल में दोनों सदस्यों का नाम एक ही परिवार में शामिल होना चाहिए।

स्थान

दिनांक   आवेदक का हस्ताक्षर व नाम

पावती

आवेदक का नाम श्री ....आत्मज श्री .... असंगठित श्रमिक पंजीकरण/बी.पी.एल. कार्ड क्रमांक .... आवेदक का विद्युत उपभोक्ता से .... का संबंध है, जिसके विद्युत कनेक्शन क्रमांक ...., ग्राम .... पर मुख्यमंत्री बकाया बिल माफी स्कीम, 2018 के अंतर्गत लाभ देने के लिए आवेदन प्राप्त हुआ। आवेदन का पंजीयन क्रमांक .... दिनांक .... है। उक्त कनेक्शन पर माह जून 2018 के अनुसार कुल बकाया माफी योग्य राशि .... रूपये है ।

सहायक यंत्री / कनिष्ठ यंत्रीके हस्ताक्षर / मुहर
वितरण केन्द्र / जोन का नाम ....
संभाग का नाम ....